साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 मौजा कठौती के खाता संख्या 66 प्रदर्ष–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से इकबाली जवाब दावा व राजीनामा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। वकिल प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने कथन किया कि उक्त प्रतिवादीगण अपने ससुराल में निवास करती है जहां इनके बंट में अन्य भूमियां आई हुई है इसएि मुतदाविया भूमि में से इन्हे कोई भूमि बंट में नहीं रखी गई है। तहसीलदार जायल को माफिक वादपत्र राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, आदि व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत इकबालि जवाब दावा एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। घोषणा खातेदारी वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है वकील वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 3 के बिन्दु संख्या 'अ' व 'ब' में मुतदाविया खेताय की कुल भूमि मे से प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबाली जवाब एवं राजीनामा में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 क्रमशः रामेश्वरी, सरोज एवं जवराई ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी मनफूलसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कठौती के खेत खसरा नम्बर 1662 रकबा 15.12 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 राधाकिशन के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कठौती के खेत खसरा नम्बर 1518 रकबा 19.11 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. 2, 3 व 4 क्रमशः रामेश्वरी, सरोज एवं जवराई के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

आज की तारीख लीज – मुबलिक – बाबत् – खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर – फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक – को अदा करें। बसीदा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.8.23 को जारी किया गया

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner